छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

शिकायत प्रकरण कमांक 325/2007

1. श्री उज्मा अख्तर, – *शिकायतकर्ता*
एस–15, प्रियदर्शनी नगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *अनावेदक*
कार्यालय, छ0ग0 उर्दू अकादमी,
फजल काम्पलेक्स, बैजनाथ पारा,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 06 नवंबर, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता सुश्री उज्मा अख्तर ने आयोग के समक्ष दिनांक 01.06.2007 को यह शिकायत प्रस्तुत की कि दिनांक 01.06.2007 को छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी, रायपुर में सूचना का आवेदन देने गई, किन्तु वहाँ आवेदन लेने से इंकार किया गया, अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे और उन्हें सूचना दिलवाई जावे ।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में मौखिक सुनवाई के दौरान अनावेदक सचिव, उर्दू अकादमी ने यह बताया कि उनके द्वारा आवेदन लेने से इंकार नहीं किया गया था और आयोग के आदेश के बाद उनके द्वारा दिनांक 06.08.2007 को जानकारी उनके पते पर भिजवाई गई, किन्तु वह घर पर नहीं मिली और दिनांक 09.08.2007 को पुनः भिजवाने पर उन्होंने लेने से इंकार किया, उसके बाद रजिस्ट्री डाक से जानकारी भेजी गई, किन्तु वह भी लेने से इंकार किया गया । बाद में आयोग के समक्ष ही दिनांक 30.08.2007 को वह जानकारी आवेदक को दिलवाई गई और उसका अध्ययन कर अगली तारीख दिनांक 11.10.2007 को शिकायतकर्ता और उनके अभिभाषक तथा अनावेदक सचिव, उर्दू अकादमी की सुनवाई की गई । शिकायतकर्ता के अभिभाषक ने यह बताया कि जो जानकारी दी गई है, वह अपूर्ण जानकारी है तथा दिनांक 28.01.2005 से 01.05.2007 तक ही की ही केश बुक दी गई है, जबकि अकादमी का गठन

उसके पूर्व हो गई था, किन्तु इसके संबंध में अनावेदक, सचिव, उर्दू अकादमी का यह कहना है कि पूर्व सचिव द्वारा जो केश बुक चार्ज में प्राप्त हुई थी, उनके समस्त पृष्ठ की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई थी और कार्यालय में

अतिरिक्त दूसरी कोई केश बुक नहीं है । जबकि शिकायतकर्ता और उनके अभिभाषक का कहना है कि पूर्व में भी एक केश बुक थी । अतः उपरोक्त स्थिति में यह निर्देश दिये जाते हैं कि सचिव, उर्दू अकादमी द्वारा एक बार पुनः पूर्व सचिव से लिखकर पूछा जावे कि क्या पूर्व में कोई अन्य केश बुक थी और उनसे जैसी जानकारी प्राप्त हो, वह शिकायतकर्ता को 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान की जावे । प्रकरण में चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा भी जानकारी लेने से इंकार किया गया था, अतः प्रकरण में शास्ति की कार्यवाही आवश्यक नहीं है, किन्तु प्रकरण में जानकारी देने में हुये विलंब के कारण शिकायतकर्ता को हुई मानसिक/आर्थिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत उर्दू अकादमी की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 250/- रूपये शिकायतकर्ता को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उक्त निर्देशों के साथ शिकायत का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त